भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA 355147

## ट्रस्ट प्रलेख

यह ट्रस्ट प्रलेख आज दिनांक 28 जून 2007 को श्री भीष्म मेहता सुपुत्र श्री परमानन्द मेहता आयु 30 वर्ष निवासी सिरसा व भूपेश मेहता सुपुत्र श्री परमानन्द मेहता आयु 45 वर्ष निवासी सिरसा द्वारा निष्पादित किया गया ।

कि हम उपरोक्त नामित व्यक्ति शैक्षणिक, पुण्यार्थ व सामाजिक कार्यो के लिए अपनी स्वेच्छा से एक ट्रस्ट स्थापित करते हैं जिसमें 1100/– , 1100/– आरम्भिक राशि (कुल 2200/–) इस ट्रस्ट को स्वीकृत एवं प्रदान करते हैं और यह राशि तथा अन्य सभी राशियां व सम्पतियां जो समय समय पर निम्नलिखित उद्वेश्यों के लिए ट्रस्ट को प्राप्त होंगी ट्रस्ट की मलकीयत / सम्पति होंगी और ट्रस्ट की सम्पति में ट्रस्टी का पद तथा ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यो के अतिरिक्त अन्य कोई रिश्ता नहीं होगा ।

ट्रस्ट के कार्य तथा उद्वेश्य निम्नलिखित अनुसार होंगे :–

1. कि ट्रस्ट का नाम **परम राधे वैलफेयर ट्रस्ट, सिरसा** होगा ।
2. कि ट्रस्ट के निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य होंगे :–

| क्रमांक | सदस्य का नाम | पिता/पति का नाम | पता | आयु |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भीष्म मेहता | श्री परमानन्द मेहता | सिरसा | 30 वर्ष |
| 2. | मंजू कुकरेजा | ध0 श्री नवनीत कुकरेजा | सिरसा | 42 वर्ष |
| 3. | मधु बाला | श्री आत्म प्रकाश गौरी | सिरसा | 42 वर्ष |
| 4. | भूपेश मेहता | श्री परमानन्द मेहता | सिरसा | 45 वर्ष |
| 5. | राज कुमार | श्री राम दयाल बजाज | सिरसा | 57 वर्ष |
| 6. | डा0 सतीश चन्द्र | श्री राम कृष्ण | सिरसा | 55 वर्ष |
| 7. | महेश कुमार | श्री करतारचन्द | सिरसा | 45 वर्ष |

3. ट्रस्ट की सभी सम्पतियां ट्रस्ट के नाम रहेंगी और उसकी कोई भी सम्पति किसी सदस्य के व्यक्तिगत नाम से नहीं होगी । ट्रस्ट निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति सरंचना तथा बढ़ोतरी के लिए राशि तथा सम्पतियां प्राप्त करेगा तथा रखेगा :–

क) भारत में किसी भी स्थान पर धर्मशाला, गौशाला, वृद्धाश्रम, बाल ग्रह आदि का निर्माण करना तथा बिना धर्म, जाति, रंग व लिंग भेद के सभी व्यक्तियों के हित में चलाना ।

ख) शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कोई संस्थान विद्यालय/महांविद्यालय व पुस्तकालय चलाना व विश्वविद्यालय स्थापित करना ।

ग) वृद्व, गरीब, असहाय बच्चों, महिलाओं व विकलांगों के उत्थान लिए कार्य करना ।

घ) रोगों की रोकथाम के लिए साहित्य छपवाना तथा चिकित्सा व दबाईयों की व्यवस्था करना । कैम्प लगाना, सम्भव हो तो चिकित्सालय स्थापित करना ।

ड़) समान उद्वेश्य वाले संस्थान को दान देना ।

च) जाति, धर्म, रंग व लिंग भेद के बिना गरीब विद्यार्थीयों को गुजारे के लिए या चिकित्सा के लिए एक बार या समय–बद्व सहायता प्रदान करना ।

छ) भारत की प्राचीन संस्कृति व महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में कोई निर्माण करवाना तथा प्रचार करना ।

ज) जन सामान्य के पानी पीने के लिए प्याउ का निर्माण एवं व्यवस्था करना ।

झ) समाज व मानवता उपयोगी/हितार्थ कोई भी अन्य कार्य करना ।

4. ट्रस्टी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार , अर्द्धसरकारी संस्थानों , बोर्ड ,स्थानीय स्वशासन या निजी संस्थाओं या अन्य व्यक्तियों से उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति हेतु दान, अनुदान या अन्य रूप में ट्रस्ट के नाम राशि व चल अचल सम्पति प्राप्त कर सकेंगे ।

5. ट्रस्टी ट्रस्ट की राशि को सिक्योरिटीज, बैंक या अन्य संस्थानों में आयकर अधिनियम तथा दूसरे अधिनियमों अधीन समय समय पर मान्य प्रावधानों अनुसार जमा करवा सकेंगें ।

6. ट्रस्ट की स्थाई सम्पति को बिकी, रहन या अन्य प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकेगा परन्तु ट्रस्ट की सम्पति आवश्यकता से अधिक होने पर अथवा खराब या प्रयोग के योग्य न होने पर बेची अथवा समाप्त की जा सकेंगी जिसके लिए तीन चोथाई बहुमत आवश्यक होगा ।

7. ट्रस्ट प्रधान अथवा अन्य ट्रस्टी जिन्हे अधिकृत किया गया हो, को ट्रस्ट की ओर से किसी प्रकार का मुकदमा करने या ट्रस्ट की ओर से मुकदमें की पैरवी करने का अधिकार होगा ओर ट्रस्टीयों की इच्छा या निर्णयों अनुसार कानुनी कार्यवाही करने तथा बचाव करने का अधिकार होगा । उसे ट्रस्ट के बकाया रिफण्ड के लिए सम्बन्धित कर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार होगा । आयकर छूट प्राप्त करने सहित सभी कार्य कर सकेंगे ।

ट्रस्ट के लिए बिजली पानी, टेलीफोन, गैस आदि के कनैक्शन लिए जा सकेंगे ।

8. ट्रस्ट के उद्वेश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक किसी भवन आदि के निर्माण के स्वरूप व व्यवस्था के बारे में निर्णय करने के लिए ट्रस्टीयों को पूर्ण अधिकार होगा और समय समय पर आवश्यकता अनुसार वे आवश्यक निर्णय एवं संशोधन आदि कर सकेंगें ।

.....3..

9. ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति के लिए ट्रस्टीयों को किसी भी व्यक्ति, संस्थान, सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों से अनुबन्ध करने का अधिकार होगा । वे किसी व्यवसायिक व्यक्ति , लिपिक , नौकर आदि को मान्य शर्तो अनुसार सेवा कार्य में रख सकेंगे तथा उनकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा ओर इस विषय में सभी आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

10. प्रथम कार्यकारिणी में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :–

| क्रमांक | सदस्य का नाम | पिता/पति का नाम | स्थान | पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भीष्म मेहता | श्री परमानन्द मेहता | सिरसा | अध्यक्ष |
| 2. | मंजू कुकरेजा | ध0 श्री नवनीत कुकरेजा | सिरसा | उपाध्यक्ष |
| 3. | भूपेश मेहता | श्री परमानन्द मेहता | सिरसा | सचिव |
| 4. | मधु बाला | श्री आत्म प्रकाश गौरी | सिरसा | कोषाध्यक्ष |

कार्यकारिणी में पदाधिकारियों सहित अधिकतम 11 सदस्य होंगे । कार्यकारिणी की अवधि तीन वर्ष होगी परन्तु प्रथम कार्यकारिणी की अवधि ट्रस्ट पंजीकरण तिथी से 31 मार्च 2010 तक रहेगी व उसके बाद हर तीसरे वर्ष पदाधिकारियों का चुनाव ट्रस्टीयों द्वारा सदस्यों में से किया जाएगा ।

11. ट्रस्टी उस किसी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसकी अपनी बेईमानी या जानबुझकर किए गए गलत कार्य के कारण नहीं हुई होगी । कोई ट्रस्टी दूसरे ट्रस्टी के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं करेगा । केवल ट्रस्ट ही कार्यवाही कर सकेगा ।

12. ट्रस्टीयों की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आवश्यक होगी परन्तु ट्रस्ट के उद्वेश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकता अनुसार समय समय पर बैठकें बुलाई जा सकेंगी ।

13. ट्रस्ट के प्रबन्ध व प्रशासन के लिए ट्रस्टी समय समय पर नियम बना सकगें ओर ट्रस्ट के सम्बन्ध में किसी कार्य के लिए एक या अधिक ट्रस्टीयों की उप समिति बनाकर उसे कार्य विशेष के लिए अधिकृत किया जा सकेगा ।

14. किसी विषय पर ट्रस्टीयों में मतभेद होने पर बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय सर्वसम्मत निर्णय माना जाएगा ।

15. ट्रस्ट की कार्यवाही लिखने के लिए एक कार्यवाही रजिस्टर लगाया जाएगा जिसमें ट्रस्टीयों की बेठक की कार्यवाही लिखी जाएगी ओर बैठक के अन्त में या अगली बैठक में जब कार्यवाही की पुष्टी हो, अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे ।

16. ट्रस्ट के सभी आय व्यय का पूर्ण विवरण हेतु लेखा पुस्तकें रखी जाएंगी । ट्रस्टी की लेखा अवधि वि वर्ष रहेगी । प्रथम वर्ष 31 मार्च 2008 तक रहेगा । लेखा व तलपट ट्रस्टीयों की बैठक में निरीक्षण स्वीकृत की जाएगी तथा लेखे आडिट करवाये जायेगें ।

लगातार.....4

17. ट्रस्टीयों या अन्य किसी व्यक्ति व संस्थान द्वारा दी गई राशि व सम्पति ट्रस्ट की सम्पति होगी और केवल ट्रस्ट के उद्वेश्य पूर्ति के लिए काम में लाई जाएगी ।

18. ट्रस्ट के अधिकतम 11 सदस्य होंगे और किसी ट्रस्टी की मृत्यु , त्यागपत्र या सदस्यता समाप्त किए जाने की दशा में रिक्त स्थान के लिए उपरोक्त ट्रस्टी कुल का बहुमत के आधार पर किसी व्यक्ति को ट्रस्टी बना सकेंगे किसी विवाद की स्थिती में कम से कम दो तिहाई बहुमत से ट्रस्टी मनोनीत किया जाएगा ।

19. किसी ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के विरूद्व कार्य करने पर, पूर्ण रूप से ट्रस्ट गतिविधिओं में लगातार उदासीन रहने पर , पागल या दिवालिया हो जाने पर या अन्य किसी ऐसे कार्य करने से, जिसके कारण ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को आघात पंहुचता हो, ट्रस्ट के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से ऐसे ट्रस्टी की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी ।

20. ट्रस्ट पदाधिकारियों की समान्य या कार्यकारिणी बैठक में विशेष सलाह, सूचना या निर्देश आदि के लिए किसी बिना ट्रस्टी व्यक्ति को भी बुला सकेंगे ।

21. ट्रस्टी ट्रस्ट के किसी कार्य के लिए वेतन, कमीशन या अन्य किसी रूप में मानदेय नहीं ले सकेंगे परन्तु ट्रस्ट के किसी कार्य के लिए किया गया वास्तविक खर्चा प्राप्त कर सकेंगे । ट्रस्टी द्वारा किया गया खर्च पूर्व स्वीकृति के आधार पर अमान्य नहीं होगा यदि बाद में ट्रस्टीयों द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है।

22. ट्रस्टी किसी भी अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोल सकेंगे और उसे चलाने के लिए कोषाध्यक्ष, प्रधान व सचिव के हस्ताक्षर मान्य होंगे तथा किन्ही दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से लेन देन किया जा सकेगा ।

23. यदि किसी कारण से ट्रस्ट को विघटित करना अनिवार्य हो जाए तो ट्रस्ट की सम्पति को ट्रस्टीयों में बांटा नहीं जाएगा बल्कि सामान उदेश्यों वाली किसी अन्य संस्थान को हस्तांतरित कर दिया जाएगा ।

24. भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधान इस ट्रस्ट पर उपरोक्त प्रावधानों से बिना विवाद के लागु होंगे हम उपरोक्त निष्पादित ट्रस्ट प्रलेख गवाहों की उपस्थिति में आज दिनांक 28 जून 2007 को हस्ताक्षरित करते हैं ।

ट्रस्ट प्रलेख लेखन
रमेश गोयल, टैक्स एड.,सिरसा

भीष्म मेहता ..........

भूपेश मेहता ..........

गवाह :

1. Manish Goyal Advocate

2. (Mukesh Mehta)
Inderpuri, Sirsa